फर्द अहकाम

न्यायालय — सहायक कलेक्टर जयपुर ... प्रथम

ओमप्रकाश बनाम भागूराम वगैरह

मुकदमा संख्या/वर्ष : 1914/[illegible] /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/9/24 ओमप्रकाश [illegible] मंजू सैनी आरती [illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री राजेश शर्मा एवं वादीगण हाजिर। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विड्रॉ किये जाने हेतु पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने (है) इसलिए वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विड्रॉ को स्वीकार किया जावे। प्रार्थीगण/वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा ने की। वादी के प्रार्थना पत्र एवं उनके निवेदन पर प्रार्थना पत्र वाद विड्रॉ इस आदेश के साथ स्वीकार किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मद में राशि 5000/- (पांच हजार रुपये) की अदायगी करने पर पुनः नया वाद पेश करने की अनुमति होगी। वाद विड्रॉ स्वीकार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। फलतः वाद विड्रॉ प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वकील वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल जाब्ते कार्यवाही बाद नियम शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
जयपुर प्रथम